अध्याय - 9
स्वतंत्रता आन्दोलन व सम्बन्धित घटनाएँ

हम पढ़ेंगे

9.1 बंग-भंग और स्वदेशी आन्दोलन
9.2 सूरत की फूट
9.3 गांधी युग
- असहयोग आन्दोलन
- सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- भारत छोड़ो आन्दोलन

9.4 क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता
9.5 सुभाषचन्द्र बोस तथा आजाद हिन्द फौज
9.6 मुस्लिम लीग और साम्प्रदायिक राजनीति
9.7 भारत का विभाजन

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों, संस्थाओं और घटनाओं का योगदान रहा है। प्रारम्भिक वर्षों में उदारवादी नेताओं ने अपने तरीकों से देश को नेतृत्व दिया, परन्तु बाद में नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आया। उग्र राष्ट्रवादियों ने अपने असीम देश प्रेम, बलिदान, त्याग के द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नई दिशा और गति दी। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विरोध और प्रतिरोध करने के अपने तरीकों द्वारा राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक धरातल प्रदान किया। क्रान्तिकारी आन्दोलनों की विस्तृत श्रृखंला ने जनता के समक्ष त्याग और बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर देश में अभूतपूर्व राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। ऐनीबेसेन्ट, देशबन्धु चितरंजन दास, सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेताओं में अपना आन्तरिक प्रकाश था, उनमें अपने ढंग से कार्य करने का साहस था। प्रस्तुत अध्याय में स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

9.1 बंग भंग और स्वदेशी आन्दोलन

लार्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय, बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह भारत का एक विशाल प्रांत था। लार्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लैफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलता पूर्वक शासन किया जाना सम्भव नहीं है। इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की योजना बनायी।

बंगाल-विभाजन के प्रस्ताव की खबर पूरे बंगाल में तेजी से फैली और विरोध की आवाजें उठने लगीं। कर्जन, विभाजन की आड़ में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक वैमनस्यता भी फैलाना चाहता था। दिसम्बर 1903 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरुद्ध आन्दोलन होने लगे। केवल पूर्वी बंगाल में ही इस विभाजन के विरोध में 500 से अधिक बैठकें हुईं। विभाजन के विरोध में लगभग 40-50 हजार परचे छपवाकर पूरे बंगाल में बँटवाये गये। इसी क्रम में कलकत्ता के टाउन हाल में कई विशाल विरोध सभाएं हुईं।

व्यापक जन विरोध के बाद भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल-विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। विभाजन के विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाया गया और जगह-जगह विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आन्दोलन की विधिवत घोषणा की गई। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल-विभाजन प्रभावी हो गया। इसके अनुसार -

1. पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगाँव व ढ़ाका के तीन जिले सम्मिलित थे। इस भाग में मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक थी इस प्रांत की राजधानी ढाका थी।

2. पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत गठित किया गया। इस क्षेत्र में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रांत की राजधानी कलकत्ता थी।

बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लार्ड कर्जन – राष्ट्रीय चेतना के केन्द्र बंगाल पर आघात कर इसे कमजोर बनाना चाहता था। लार्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था।

विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, हड़ताल घोषित की और सड़कों पर 'वंदेमातरम्' गाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने एक–दूसरे के हाथों पर रांखियाँ बांधकर यह बतलाने का प्रयत्न किया कि अंग्रेज हमें बांटकर हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। आन्दोलन के दौरान सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वीशचन्द्र राय, आनन्द मोहन बोस आदि नेताओं ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित कर विरोध का स्वर मुखर किया। बंगाल–विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वदेशी आन्दोलन को एक नई दिशा दी।

स्वदेशी आन्दोलन : राष्ट्रवादी नेता 'स्वदेशी' को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे। स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि भारत और ब्रिटेन के हित परस्पर विरोधी हैं और ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए उसके व्यापारिक हितों पर आघात करना आवश्यक है। स्वदेशी के समर्थक देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए एवं बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग आवश्यक मानते थे। स्वदेशी के विचार को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस आदि के उद्योग स्थापित करने तथा राष्ट्रीय बैंक आरम्भ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना आरम्भ किया। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं को खोला जाना आरम्भ हुआ। धीरे–धीरे स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का प्रतीक बन गया।

1905 के कांग्रेस अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शनी लगायी गयी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार किया गया। 'देवनागरी' लिपि का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन (1905) में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आन्दोलन को समर्थन दिया। 1905 में प्रथम बार वंदेमातरम् गीत से कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आरम्भ हुआ। धीरे–धीरे यह आन्दोलन पूरे देश में फैल गया। रावलपिंडी, कांगडा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आन्दोलन खूब फला–फूला। सैय्यद हैदर रज़ा ने दिल्ली में इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इस आन्दोलन को दिशा दी। बालगंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय और अरविन्द घोष जैसे नेता इस आन्दोलन के माध्यम से एक राजनीतिक जनसंघर्ष आरम्भ करना चाहते थे। अत: उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया।

स्वदेशी आन्दोलन पर उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने अनेक विचार, योजनाएं व तरीके अपनाएं और आम जनता के सामने रखे। उन्होंने व्यापक जनांदोलन के माध्यम से राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा। आन्दोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया अपितु सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार इसमें शामिल था। अरविन्द घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेता इस बात की वकालत करते रहे कि यदि अंग्रेजी हुकूमत दमन का रास्ता अपनाएगी तो उसका हिंसक प्रतिरोध किया जायेगा। इस आन्दोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली।

आन्दोलनकारी विदेशी कपड़ों की होली तो जला ही रहे थे, औरतों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया, यहाँ तक कि विदेशी चीनी से बनें प्रसाद को भी महंतों-पुजारियों ने लेने से मना कर दिया। आन्दोलन की सर्वव्यापकता से भारतीयों के मन में स्वराज की धारणा बलवती हुई।

बंग-भंग और स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव : 1905 के बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम सामने आये जिनके कारण भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नई दिशा मिली। प्रमुख प्रभाव इस प्रकार थे -

- बंग-भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ।
- स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा जिससे मृतप्राय: हो चुके हथकरघा, रेशम बुनाई आदि अन्य पारम्परिक दस्तकारी उद्योग में नवजीवन का संचार हुआ।
- बंग-भंग के कारण स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ। यह आन्दोलन स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ था। लोगों में यह भावना पैदा हुई कि अपनी प्रगति के लिए वे स्वयं आगे आएं। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योग अस्तित्व में आए।
- शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तरह ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। इसी के साथ बहुत कम समय में ही अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी हुई। देशी भाषा (क्षेत्रीय भाषा) में शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार हुआ।
- बंग-भंग के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। इस समय रवीन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेन्द्र लाल राय, मुकुन्द दास, सैय्यद अबू मोहम्मद आदि के लिखे गीत क्रांतिकारियों और स्वतन्त्रता प्रेमियों में प्रेरणास्त्रोत बने।
- बंग-भंग के बाद अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया जिसमें बहुत हद तक वे सफल भी हुए। अंग्रेज स्वदेशी आन्दोलन को कमजोर करने के लिए समय-समय पर मुस्लिम सम्प्रदाय को भड़काया करते थे। अंग्रेजों के इशारे पर 'इण्डियन मुस्लिम लीग' का गठन हुआ। अंग्रेजों के इशारे पर ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आन्दोलन का विरोध किया।

कर्जन के छ: वर्ष के लम्बे शासनकाल ने स्वाधीनता आन्दोलन की दिशा वास्तविक रूप में बदल दी।

स्वदेशी आन्दोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीयों का पहला सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन था। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की नई चेतना का विकास हुआ।

9.2 सूरत की फूट

बंग-भंग की घटना का काँग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। काँग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी नेता इस आन्दोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे जबकि उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। दो तरह की विचाराधारा के मौजूद रहते ही काँग्रेस के बनारस (1905) और कलकत्ता (1906) अधिवेशन सम्पन्न हो गये।

काँग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था किन्तु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। इस समय तक काँग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आन्दोलनों में तीव्रता आ चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादी सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे किन्तु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को

अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। यहीं से उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू हो गया। विरोध के कारण अधिवेशन के पहले दिन सभा स्थगित रही। दूसरे दिन बाल गंगाधर तिलक ने सभी के सामने यह बात रखी कि यदि स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को पुष्ट किया जाये तो अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर होने वाले विवाद को खत्म किया जा सकता है। उदारवादियों ने इस प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया, जिससे अधिवेशन में अव्यवस्था व अशांति फैल गई। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि उदारवादियों ने उग्र राष्ट्रवादियों को काँग्रेस से निष्कासित कर दिया।

उग्र राष्ट्रवादी आन्दोलन के मार्ग में उदारवादियों को सबसे बड़ी बांधा मानते थे और काँग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहते थे। दूसरी ओर, उदारवादी भी उग्र राष्ट्रवादियों से काँग्रेस को बचाना चाहते थे। उदारवादी नहीं चाहते थे कि उग्र राष्ट्रवादियों के कारण ब्रिटिश सरकार काँग्रेस से नाराज होकर उसका दमन करे। इसलिए भी वे उग्र राष्ट्रवादियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे।

सूरत अधिवेशन की घटना ने काँग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश किया किन्तु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने पर एकमत नहीं हुए जिसके कारण अंततः काँग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे 'सूरत की फूट' कहा जाता है। काँग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय आरम्भ होता है। एक नई भावना जागृत हुई थी जो न केवल शिक्षित मध्यम वर्ग के कुछ चुने हुये लोगों को, वरन् जनता के विशाल वर्ग के मस्तिष्क और हृदय को भी उद्वेलित कर रही थी। यह आन्दोलन जन-आन्दोलन का रूप धारण करने जा रहा था।

9.3 गांधी युग

राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक व्यापक साम्राज्य-विरोधी, जन-आंदोलन में बदल गया। इस परिवर्तन के अनेक कारण थे। यही समय था जब मोहनदास करमचंद गाँधी सामने आए और राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बने। इंग्लैण्ड में कानून की शिक्षा पाने के बाद, वे वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। अफ्रीकी सरकार की भेदभाव पूर्ण और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष में, उन्होंने अपने कर्म-दर्शन का विकास किया। यह कर्म-दर्शन, अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। इसे जब भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया, तो यह सत्याग्रह बना और इसके माध्यम से लाखों लोग स्वराज के आंदोलन में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में अनेक शक्तिशाली जन-आंदोलन चले। कानूनों का उल्लंघन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अदालतों का बहिष्कार, काम रोक देना, शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, शराब और विदेशी माल-बेचने वाले दुकानों पर धरना, कर न चुकाना तथा प्रमुख उद्योग-व्यापारों को बंद करना, यही इन आंदोलनों के मूल तत्व थे। यह विधियाँ अहिंसक तो थीं पर कुछ कम क्रांतिकारी न थी, इनके कारण समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए, उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे तथा लाठी-गोली का सामना करने लगे।

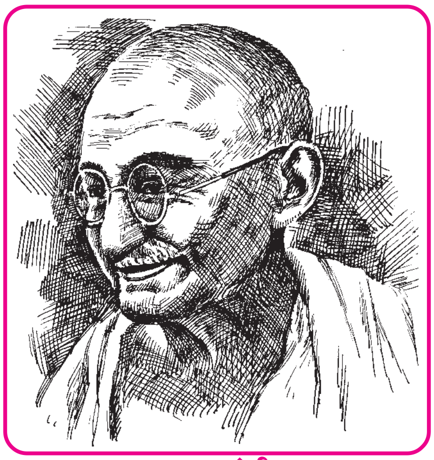

महात्मा गांधी

गाँधीजी, सादा जीवन बिताते थे तथा जनता से उसी भाषा में बात करते थे, जिसे वह समझती थी। इसीलिए

गांधीजी को 'महात्मा' कहा जाने लगा। गांधी जी ने स्वाधीनता आन्दोलन में उच्चतम नैतिक आदर्शों का समावेश कर उसे जन आन्दोलन बनाने में सफलता प्राप्त की, गांधीजी का जीवन और विचार सत्य और अहिंसा के महान आदर्शों पर आधारित थे। वे राजनीतिक प्रश्नों के हल के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए साधनों की शुद्धता पर जोर देते थे। विदेशी शासन के विरूद्ध संघर्ष के लिए उन्होंने जिस प्राविधि का आश्रय लिया, उसे **'सत्याग्रह'** के नाम से जाना जाता है।

सामाजिक सुधार को गाँधी जी ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान **छुआछूत** की उस अमानवीय प्रथा के विरोध में अभियान चलाना था, जिसने लाखों भारतीयों को जानवरों की दशा में पहुँचा दिया था। उनका दूसरा योगदान **कुटीर उद्योगों** के क्षेत्र में था। चरखे को उन्होंने ग्रामीण जनता की मुक्ति का साधन बतलाया और चरखे को बढ़ावा देना, काँग्रेस का एक अंग बन गया। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के अलावा, चरखे ने लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और भारी संख्या में ऐसे लोग पैदा किए जो संघर्ष में कूदने और जेल जाने के लिए तैयार थे। चरखे का महत्व इतना बढ़ गया कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे में भी आ गया।

गांधी जी ने **हिन्दु-मुस्लिम एकता** के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे साम्प्रदायिकता को राष्ट्रविरोधी और अमानवीय समझते थे उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की एकता मजबूत बनी और स्वतंत्रता के लिए भारत की जनता उठ खड़ी हुई।

1918 में प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हुआ, जिसमें टर्की की हार हुई। विजयी देशों ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, इससे मुस्लिम जनता भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष फैला। ब्रिटिश सरकार ने दमन-चक्र का सहारा लिया। 1919 में रोलेट अधिनियम बना दिया गया। इससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

रोलेट अधिनियम मार्च 1919 में लागू किया गया। विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। 6 अप्रैल को अनेक जगहों पर हड़तालों, काम बंद और प्रदर्शनों के आयोजन किए गए। पंजाब में भी रोलेट अधिनियम का विरोध हुआ। पंजाब में सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी-गोली चलवाई। 10 अप्रैल को काँग्रेस के दो प्रभावशाली नेता- डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में अमृतसर के जलियाँवाला बाग में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन एक सभा हुई। यह एक छोटा-सा बाग है, जिसके चारों तरफ मकान हैं। जनरल डायर अपने सैनिकों को साथ लेकर बाग में दाखिल हुआ और उसने बाग का जो एकमात्र निकास द्वार था, उसे घेर लिया। फिर बिना कोई चेतावनी दिए, जब तक गोला बारूद खत्म न हो जाए तब तक उसने गोली चलाने के आदेश दिए। सभा में स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े भी थे। गोलीबारी लगभग दस मिनट तक चलती रही, कोई भी बाहर भाग नहीं सका। कुछ समय बाद डायर अपने सैनिकों को लेकर चला गया। बाग में सरकारी आँकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोग मृत और कोई 1200 लोग घायल हुए। कई लोग बाग में स्थित कुँए में जिन्दा गिर गए। इस दानवीय कार्य ने पूरे देश में गुस्से की तीव्र लहर उत्पन्न की। डायर की इस 'क्रूरतम पशुता' और 'जानबूझकर किए गए नरसंहार' से अनेक अंग्रेजों की आत्मा तक काँप उठी और उन्होंने ने भी इसकी निंदा की।

इस नरसंहार के तत्काल बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर एक आतंक राज कायम कर दिया गया मगर यह आतंक भी आंदोलन को दबा न सका। डायर ने जिस 'सैनिक भय' के उत्पन्न होने की आशा की थी, वह उत्पन्न न हो सका। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, उस पर वहाँ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके समर्थन में भारत के अली भाईयों (मोहम्मद अली और शौकत अली) ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में उन्होंने सहायता दी, किन्तु टर्की में इस आंदोलन के समाप्त होते ही भारत में यहा आन्दोलन फीका पड़ गया।

कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियाँवाला बाग का हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा-खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति, यह असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने की अभियान चलाया जाना था। यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा।

असहयोग आंदोलन को अपार सफलता मिली। विधानमंडलों के चुनावों में लगभग दो तिहाई मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शिक्षा-संस्थाएँ खाली हो गईं। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाएँ इसी दौर में स्थापित हुईं। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं। विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गईं। पूरे देश में हड़तालें हुईं। मालाबार में मोपला विद्रोह छिड़ गया। हिन्दू और मुसलमान एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए और पूरे देश में भाईचारे के उदाहरण देखे गए। सिक्खों ने गुरुद्वारों से सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा खत्म कराने के लिए आंदोलन छेड़ा। हजारों लोगों ने स्वयं सेवकों में नाम लिखाया। आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। जब वह 17 नवम्बर 1921 को भारत पहुँचा तो उसका 'स्वागत' आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलाईं। दमन जारी रहा और साल के खत्म होने तक, गाँधीजी को छोड़कर, सभी बड़े नेता जेलों में बंद किए जा चुके थे।

असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार का दमन, दोनों जब चरम सीमा पर थे, उसी समय दिसम्बर 1921 में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष हकीम अज़मल खाँ थे। कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया, जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज प्राप्त नहीं होता।

फरवरी के आरंभ में गाँधी जी ने गुजरात के बारदोली जिले में कर न चुकाने का अभियान चलाने का फैसला किया। मगर उत्तरप्रदेश के चौरी-चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। गाँधी जी तक जब यह समाचार पहुँचा, तो उन्होंने इसे दैवीय चेतावनी की तरह ग्रहण किया और पूरे असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात् चरखे को लोकप्रिय बनाने, हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़वा देने तथा छूआछूत का मुकाबला करने पर ध्यान केन्द्रित करने का फैसला किया गया।

इस समय जो नेता जेलों में बंद थे, उन्हें आंदोलन रोके जाने की खबर सुनकर अप्रसन्नता हुई। स्वयं गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें छः साल की जेल की सजा सुनाई गई। मगर उन्हें दो वर्षों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। तब उन्होंने चरखे को लोकप्रिय बनाने, छूआछूत का मुकाबला करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने

के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया। इससे आंदोलन की उपलब्धियों को स्थाई बनाने में सहायता मिली। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के नेतृत्व में कांग्रेस के एक भाग ने कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी बना ली और फैसला किया कि वे विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेंगे, जिसका कि वे अभी तक बहिष्कार करते आए थे। उनका उद्देश्य था– इन संस्थाओं के अंदर रहकर तब तक कार्य में बाधा डालना, जब तक कि जनता की माँगें मान नहीं ली जातीं।

साइमन कमीशन

1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले दस वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम की सफलता पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस आयोग से जिन बातों पर विचार करने को कहा गया, उनसे भारतीय जनता को स्वराज पा सकने की जरा भी आशा नहीं हुई।

फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुँचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। केन्द्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियाँ बनाई गईं ताकि जहाँ भी वह जाए, उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था– 'साइमन वापस जाओ' अनेक जगहों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। पंजाब में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अंग्रेजों के लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनका देहांत हो गया। अंत में साइमन कमीशन वापस चला गया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन (विनम्रतापूर्वक कानून की अवज्ञा)

असहयोग आन्दोलन के स्थगन के पश्चात् स्वतन्त्रता संघर्ष को किस प्रकार जारी रखा जाए, इसे लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गये। कांग्रेस का एक पक्ष परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों में प्रवेश करना चाहता था परन्तु कांग्रेस का दूसरा पक्ष परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहता था। इन परिस्थितियों में परिषदों में प्रवेश का इच्छुक पक्ष कांग्रेस से पृथक हो गया और उसके 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की थी।

दिसम्बर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आरम्भ हुआ। इसके अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरु थे। उन्होंने घोषित किया कि "हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का।" इस अधिवेशन में कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वाधीनता' के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 31 दिसम्बर 1929 को कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर विशाल जनसमूह के समक्ष 'पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज' फहराया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया। अतः देश भर में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया।

कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। वाइसराय लार्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया था परन्तु गांधीजी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लार्ड इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की। गांधीजी ने यह भी घोषित किया कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया जायेगा।

गांधीजी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू-राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबन्दी लागू हो, बन्दूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाये, नमक कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बन्दी छोड़े जाए, गुप्तचर विभाग पर नियन्त्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में पचास प्रतिशत कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो आदि। वाइसराय ने इन मांगों को अस्वीकार किया अतः गांधीजी ने योजनानुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ किया।

दाण्डी यात्रा : गांधीजी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया। 12 मार्च 1930 को गांधीजी अपने साथियों सहित साबरमती आश्रम से लगभग 200 मील दूर स्थित दाण्डी के लिए निकले। यात्रा के मार्ग पर लोगों ने उनका स्वागत किया व 5 अप्रैल को यात्रा दाण्डी पहुँची। 6 अप्रैल को गांधीजी व उनके साथियों ने नमक कानून को तोड़कर आन्दोलन आरम्भ किया।

गांधीजी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही देश भर में ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की गयी। अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। मध्यप्रदेश में जंगल कानून की अवज्ञा हुयी। मुम्बई, कलकत्ता अनेक स्थान पर हड़तालें हुई। परिषद के सदस्यों ने अपने पद और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने दिये गये। गुजरात में धरसाना के नमक कारखाने के धावे में 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 'लाल कुर्ती' के नाम से प्रसिद्ध स्वयं सेवकों ने आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। मई 1930 को सरकार ने गांधीजी को बन्दी बना कर पूना की यरवदा जेल भेज दिया। इसकी प्रतिक्रियास्वरुप दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, शोलापुर आदि स्थानों पर उग्र प्रदर्शन हुए। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद तैय्यबजी और उनके बन्दी बनाये जाने के बाद सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व सम्भाला। जून 1930 तक आन्दोलन पूरे जोर पर पहुँच गया। जुर्माना, लाठी प्रहार, जेल जाना आम बात हो गयी। खद्दर पहनना और गांधी टोपी लगाना अपराध हो गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया।

इस बीच लंदन में 1930 एक गोलमेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में यह बात साफ हो गयी थी कि भारतीय समस्या के हल के लिए कांग्रेस का सहयोग आवश्यक है। इन परिस्थितियों में सरकार ने गांधीजी को 26 जनवरी 1931 को बिना शर्त रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद गांधीजी की वाइसराय लार्ड इरविन से बातचीत हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता अस्तित्व में आया। इस समझौते के अन्तर्गत, सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने और शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों के बाहर धरना देने की भी अनुमति दी गई।

गांधीजी का आमरण अनशन-पूना समझौता : ब्रिटिश सरकार ने एक ओर तो दमन नीति अपनायी, दूसरी ओर अपनी परम्परागत 'फूट डालो ओर राज्य करो' की नीति का अनुसरण करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रलोभन देकर हिन्दुओं में फूट डालने का प्रयत्न किया। गांधीजी ने इसका घोर विरोध किया।

इसके बावजूद अगस्त 1932 में सरकार ने मैकडोनोल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन तथा स्थानों की घोषणा की गयी। गांधीजी ने इसका विरोध करते हुए साम्प्रदायिक निर्णय को रद्द करने की माँग की और इसे न माने जाने पर आमरण अनशन आरम्भ किया।

गांधीजी के आमरण अनशन से पूरा देश चिंता में डूब गया। ऐसे नाजुक मौके पर सवर्ण तथा दलित हिन्दुओं ने सर्वसम्मत हल निकालने के लिए पूना में एक समझौता किया। यह समझौता गाँधीजी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। सरकार ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। अत: गांधीजी ने आमरण अनशन समाप्त किया। 2 मई 1933 को सरकार ने गांधीजी को रिहा कर दिया।

1935 में सरकार ने भारत शासन अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना की गयी तथा प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया। इस अधिनियम की भारतीय राजनीतिक दलों ने बड़ी आलोचना की। इसका कारण यह था कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया था। 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के पालन में फरवरी 1937 में प्रान्तीय विधान परिषदों के लिए निर्वाचन हुए। प्रान्तीय विधानमंडलों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों का निर्माण किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

1942 के वर्ष में देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आन्दोलन आरम्भ हुआ, जिसे 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है। यह यथार्थत: जन-आन्दोलन था। यह एक ऐसा अंत:प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आन्दोलन था, जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्व-प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था।

इस आन्दोलन के आरम्भ होने के मूल में अनेक कारण विद्यमान थे। भारत द्वितीय विश्वयुद्ध में भागीदार बनने का इच्छुक नहीं था परन्तु इस युद्ध में उसे उसकी सहमति के बिना सम्मिलित किया गया था। युद्ध का साया पड़ने के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गयी थी। खाद्य स्थिति क्रमश: बिगड़ती जा रही थी, निर्वाह व्यय तीन गुना बढ़ गया था। मुनाफाखोरी और शोषण अनवरत जारी था।

इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने एक असहयोगात्मक आन्दोलन पुन: आरम्भ करने का निश्चय किया।

8 अगस्त की रात्रि में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव मुम्बई में बहुमत से पारित हुआ। गांधीजी ने इस अवसर पर कहा कि ''प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आपको स्वाधीन मनुष्य समझे। उसे स्वाधीनता की यथार्थतापूर्ण प्राप्ति अथवा उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए।''

गांधीजी ने कहा, ''पूर्ण स्वाधीनता से न्यून किसी भी बात से मैं सन्तुष्ट होने वाला नहीं हूं। हम करेंगे या मरेंगे''

गांधीजी के आन्दोलन आरम्भ करने के पूर्व ही 9 अगस्त की रात्रि को सरकार ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरु, सरोजिनी नायडू तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को बन्दी बना कर पूना भेज दिया। शासन द्वारा उतावलेपन में की गयी उत्तेजक कार्यवाही से संघर्ष स्वयंमेव आरम्भ हो गया। जनसमूह सड़कों पर आ गया। देश भर में हड़ताल, प्रदर्शन तथा सभाओं का आयोजन हुआ। बम्बई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, जबलपुर, पटना, यहाँ तक कि प्रत्येक नगर, तहसील और ग्राम में जनता ने अपने आपको संगठित किया और संघर्ष आरम्भ किया।

भारत छोड़ो आन्दोलन का महत्व यह रहा कि इसनें भारत की स्वतन्त्रता को राष्ट्रीय आन्दोलन की तात्कालिक माँग बना दिया।

आन्दोलनकारियों ने परिवहन के साधनों को नष्ट-भ्रष्ट किया, पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किए, शासकीय अभिलेखों को विनष्ट किया तथा शासन के प्रत्येक कानून की अवज्ञा की। पुलिस की उत्तेजनात्मक दमन कार्यवाही के कारण आन्दोलन ने अहिंसा के सिद्धान्तों का अतिक्रमण भी किया।

सरकार ने आन्दोलन का दमन करने के लिए अंधाधुंध गोलियाँ बरसायीं, लाठी चार्ज किया तथा हजारों की संख्या में गिरफ्तारियाँ की। दमन चक्र जैसे-जैसे बढ़ता गया, उपद्रव बढ़ते गये। मध्यप्रदेश के जबलपुर, सागर, मंडला, बैतूल तथा देसी रियासतों में अनेक स्थानों पर आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। आन्दोलनकारियों ने अपना आक्रोश रेल्वे स्टेशनों को जलाकर, पटरियों को उखाड़कर, तार के खंभे गिराकर, सरकारी कार्यालयों को ध्वस्त कर व्यक्त किया। सरकारी दमन के चलते हजारों लोग मारे गये। शिक्षण संस्थाएँ बन्द हो गयीं। क्रांतिकारी तत्वों ने अपने तरीकों से शासनतंत्र का विरोध किया।

ऐसे समय में जब अधिकांश बड़े नेता बन्दीगृह में थे अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, मेहरअली, जयप्रकाश नारायण आदि ने भूमिगत होकर आन्दोलन चलाया।

इन सबके बावजूद अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया निर्णायक स्वरुप की थी। चर्चिल ने इसके लिए कांग्रेस को ही दोषी ठहराया। परन्तु गांधीजी ने आन्दोलन में हुई हिंसा के लिए शासन की उत्तेजक कार्यवाहियों को दोषी बताया।

10 फरवरी 1943 को गांधीजी ने तीन सप्ताह का उपवास आरम्भ किया। गांधीजी की स्थिति चिंताजनक हो गयी थी परन्तु अपने आत्मबल के सहारे उन्होंने उपवास पूर्ण किया। जब वे बन्दीगृह में थे, 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गयी। धीरे-धीरे आन्दोलन में भी शिथिलता आने लगी। 6 मई 1944 को सरकार ने बीमारी के आधार पर गांधीजी को रिहा कर दिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित आन्दोलन था। इस आन्दोलन का मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिन्दू महासभा ने समर्थन नहीं किया। यद्यपि अन्य राजनीतिक दलों ने इसमें भाग नहीं लिया परन्तु व्यक्तिगत स्तर पर अनेक लोग इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन स्वाधीनता का घोषित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा परन्तु आन्दोलन इस दृष्टि से सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की स्वाधीनता की मांग की लम्बे समय तक उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस आन्दोलन के कारण ही विश्व जनमत इंग्लैण्ड के विरुद्ध जागृत हुआ। इसी कारण आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् सत्ता के हस्तान्तरण का प्रश्न ही प्रमुख बना।

9.4 क्रांतिकारी राष्ट्रीयता

ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति के परिणामस्वरुप 19 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का अभ्युदय हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार हुआ। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज व स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त करना चाहते थे। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का गठन किया, युवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अस्त्र-शस्त्र एकत्र किये तथा समाचार-पत्रों और अन्य माध्यमों से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समितियों की स्थापना की। यह समितियाँ युवकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से अवगत कराती थीं तथा उनमें स्वतन्त्रता की भावना जगाती थी। समितियाँ युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि को विदेशी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने पिस्तौल, बंदूक और गोला-बारूद का रास्ता चुना।

बंगाल विभाजन के फलस्वरुप हुए आन्दोलन के दमनचक्र और अपमान तथा सार्वजनिक भावना के प्रति जानबूझकर की गयी उपेक्षा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे हिंसापूर्ण प्रतिक्रिया में फूट पड़ी।

प्रमुख क्रांतिकारी व घटनाएँ - तत्कालीन समय में महाराष्ट्र में सक्रिय क्रांतिकारियों में प्रमुख थे - **श्याम जी कृष्ण वर्मा, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु** तथा **सावरकर बंधु**। 1907 में पंजाब के किसानों में क्रांतिकारी भावना तेज हुयी। यहाँ **परमानन्द** व **लाला हरदयाल** आदि नेताओं ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। 1909 में लंदन में **मदन लाला ढ़ींगरा** ने सर विलियम कर्जन बायली की और नासिक में अनन्त कान्हेरे ने सेशन जज मि. जैक्सन की हत्या कर दी। बाद में कान्हेरे पर 'नासिक षड़यंत्र केस' नामक मुकदमा चलाया गया।

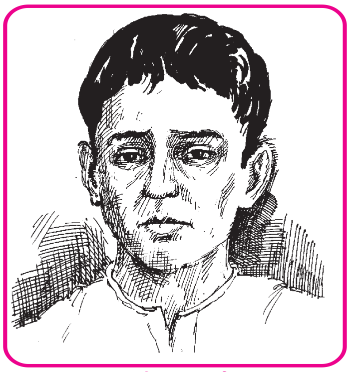

खुदीराम बोस

यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन का आरम्भ महाराष्ट्र से हुआ परन्तु बंगाल में वह अपने प्रबलतम रूप में प्रकट हुआ। बंग-भंग ने बंगाल के क्रांतिकारियों को संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बंगाल में क्रांतिकारी आन्दोलन के अग्रदूत वारीन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त थे। 1908

में क्रांतिकारियों ने मुज्जफरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाकर उस पर बम फेंका। इस बम विस्फोट में दो अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हुयी। इस सम्बन्ध में अंग्रेज सरकार ने **खुदीराम बोस** नामक क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी।

कलकत्ता के मानिकतल्ला मुहल्ले में पुलिस ने हथियारों का कारखाना पकड़ा और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन क्रांतिकारियों पर बाद में मुकदमा चलाया गया जिसे अलीपुर केस के रूप में जाना जाता है। इनमें से वारीन्द्र घोष नामक क्रांतिकारी को अण्डमान निर्वासित कर दिया। 1910 के हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल के क्रांतिकारी नेता **विपिन चन्द्र पाल** ने मद्रास के युवकों को राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में **रासबिहारी बोस** और **शचीन्द्र सान्याल** ने क्रांतिकारियों को संगठित किया। 1912 में दिल्ली के वायसराय लार्ड हार्डिग पर बम फेंका गया लेकिन वह बच गया। इस घटना में पकड़े गये क्रांतिकारियों पर 'दिल्ली षड्यंत्र केस' नाम से मुकदमा चलाया गया। कई क्रांतिकारियों को फाँसी पर लटका दिया गया। कुछ क्रांतिकारियों ने सैनिक क्रांति की योजना बनाई जिसका भेद खुल जाने से क्रांतिकारी सैनिक पकड़े गये और उनके हथियार छीन लिए गये। इस घटना में सम्मिलित क्रांतिकारियों पर 'लाहौर षड्यंत्र केस' चलाया गया। 24 क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। 1908 से 1918 के बीच लगभग 200 क्रांतिकारी या तो शहीद हो गये या जेल में डाल दिये गये।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियाँ केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जारी थीं। लंदन, पेरिस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, केलीफोर्निया, सेनफ्रांसिस्को, बर्लिन, जापान आदि में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना अभियान चलाया। 19 वीं शताब्दी के अंत में बर्लिन में 'भारतीय स्वतन्त्रता समिति' की स्थापना हुई। मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, तारकनाथ दास आदि क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। यही समिति आगे चलकर विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र बन गई। समिति का मुख्य कार्य भारत में कार्यरत क्रांतिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना और उन्हें अस्त्र-शस्त्र पहुंचाने की व्यवस्था करना था।

1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के बाद भारत में नये सिरे से उत्तेजना की लहर उठी। उधर असहयोग आन्दोलन के स्थगित करने के कारण भी जनाक्रोश उमड़ पड़ा। अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। अहिंसात्मक आन्दोलनों से निराश होकर क्रांतिकारी पुनः संगठित होने लगे। क्रांतिकारियों को अपना अभियान चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई और 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट 'काकोरी' नामक स्थान पर गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। बाद में अंग्रेजों ने 40 लोगों पर खजाने की लूट का मुकदमा चलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में **राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहौटी, रोशन सिंह** और **अशफाकउल्ला खाँ** की विशेष भूमिका रही। इसलिए बाद में उन्हें फाँसी के तख्ते पर लटका दिया गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल को भी काले पानी की सजा हुई।

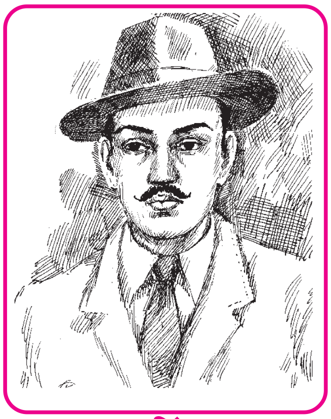

भगत सिंह

उत्तर भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का नेतृत्व सरदार **भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त** और **राजगुरू** ने किया। 1928 में दिल्ली में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई और 'हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना' का गठन किया गया। पंजाब में भगवती चरण व भगतसिंह ने 'नौजवान भारत सभा' का गठन किया। यह संस्था नौजवानों में देशभक्ति की भावना जगा रही थी।

ब्रिटिश सरकार 'पब्लिक सेफ्टी बिल' पास कराना चाहती थी। क्रांतिकारियों

ने इस बिल को रुकवाने के लिए केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंकने की योजना बनाई। इस कार्य को सरदार भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया। जब 9 अप्रैल 1929 को इस बिल पर असेम्बली में चर्चा चल रही थी, भगतसिंह ने असेम्बली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था अपितु वे अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। बाद में भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सरदार भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव को फाँसी के तख्ते पर लटका दिया गया। भगतसिंह ने 'इंकलाब जिन्दाबाद' जैसा प्रखर नारा देश को दिया।

जतीन्द्रनाथ दास द्वारा भगतसिंह व अन्य क्रांतिकारियों को जेल में सुविधाएं दिए जाने की माँग को लेकर भूख हड़ताल की गयी और अंततः प्राणों की आहूति दे दी।

1928 में लाहौर में 'साइमन वापस जाओ' आन्दोलन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ। पुलिस से हुई झड़प के बाद लाला जी की मृत्यु हो गयी जिससे क्रांतिकारी भड़क गये और पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या कर दी।

इधर, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण और अनेक क्रांतिकारी नेताओं की मृत्यु से क्रांतिकारी आन्दोलन को बहुत क्षति हुई। उत्तर भारत में क्रांति की बागडोर **चन्द्रशेखर आज़ाद, यशपाल** और **भगवती चरण** के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने के लिए वायसराय लार्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई। बम का विस्फोट हुआ किन्तु वाइसराय बाल-बाल बच गया। चन्द्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 फरवरी 1931 में क्रांतिकारियों की एक बैठक बुलाई किन्तु दुर्भाग्य से अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अंतिम क्षण तक अंग्रेजी सिपाहियों से लोहा लिया किन्तु जब उन्हें लगा कि वे बच नहीं पाएँगे तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। यशपाल को भी 14 वर्ष की कैद हुई। क्रांतिकारी आन्दोलन में भारतीय वीरांगनाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्रीमती **सुशीला देवी, श्रीमती दुर्गादेवी, प्रेमवती** आदि महिलाओं ने आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

13 मार्च 1940 को **ऊधमसिंह** नामक क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गर्वनर ओ. डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी डायर के इशारे पर जलियाँवाला बाग की घटना हुई थी।

20 वीं शताब्दी में शुरू हुए क्रांतिकारी आन्दोलन ने भारत के अनेक भागों में अपनी जड़े जमा ली थीं। सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों का कठोरता के साथ दमन किया। सैकड़ों क्रांतिकारियों को फाँसी पर लटका दिया गया, सैकड़ों को आजीवन कैद के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके चलते धीरे-धीरे आन्दोलन शिथिल होता गया, लेकिन भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में क्रांतिकारी आन्दोलन का विशेष महत्व है। क्रांतिकारियों का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, इसलिए भारतीय जनमानस में उनके लिए एक विशेष सम्मान था। क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान युवाओं में प्रेरणा का काम कर रहा था। क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाये जाने से पूरे देश में उत्तेजना फैल जाती थी। क्रांतिकारियों के रक्त से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जागृत होती थी। इससे जनजागरण का वातावरण बना। भारत की आजादी में आजाद हिन्द फौज और भारतीय नौ सेना के विद्रोह का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

9.5 सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज

सुभाषचन्द्र बोस जिन्हें सम्मान से 'नेताजी' कहा जाता है, असहयोग आन्दोलन के समय गांधीजी के सम्पर्क में आये। गांधीजी के राजनीतिक चिन्तन से अधिक उन्हें देशबन्धु चितरंजनदास का चिन्तन अधिक उचित लगा। असहयोग आन्दोलन स्थगित किये जाने से सुभाष बड़े निराश हुये और जब चितरंजनदास द्वारा स्वराज्य दल की स्थापना की गयी, वे उसमें सम्मिलित हुए। सुभाषचन्द्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे

और जवाहरलाल नेहरु के साथ पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर थे। वे 1937 और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में जब वे दूसरी बार अध्यक्ष बने तब गांधीजी और सुभाषचन्द्र बोस में मतभेद हो गया और अंततः उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र पत्र दे दिया तथा 1939 में **'फॉरवर्ड ब्लाक'** संगठन की स्थापना की।

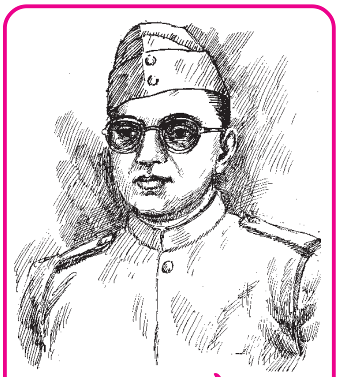

सुभाषचन्द्र बोस

द्वितीय विश्व युद्ध का लाभ लेकर देश को आजाद कराने की दृष्टि से सन् 1941 को सुभाषचन्द्र बोस ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर देश से बाहर निकले और पेशावर, मास्को, बर्लिन होते हुए जापान पहुँचे। सुभाषचंद्र बोस को यह विश्वास था कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में उनकी योजनाएँ पूर्ण रूप ले सकती हैं अतः उन्होंने आजाद हिन्द फौज का सुदृढ़िकरण कर वे उसके प्रधान बनने में सफल हुए। सुभाषचन्द्र बोस भारतीय स्वतन्त्रता लीग से भी जुड़े। इस कार्य में उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस का सहयोग प्राप्त हुआ। सन् 1943 में सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिन्द फौज के सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनायी तथा देश को स्वतन्त्रता हेतु अपने खून की आखिरी बूँद भी बहा देने की शपथ ली।

सुभाषचन्द्र बोस ने भारत-वर्मा सीमा पर युद्ध आरम्भ किया। फरवरी 1944 में आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिमा, पलेम, तिद्दिम आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया। अप्रैल 1944 में आजाद हिन्द फौज ने इम्फाल को घेर लिया परन्तु वर्षा के अधिक्य और रसद की कमी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। मई 1944 से जर्मनी और जापान की स्थिति कमजोर होने लगी। आजाद हिन्द फौज अभाव और निराशा की मनःस्थिति में बिखरने लगी। यद्यपि सुभाषचन्द्र ने सेना में पुनः जोश भरने का प्रयास किया परन्तु वे असफल रहे। इन परिस्थितियों में वे बैंकाक आ गये। अगस्त 1945 में जब वे हवाई यात्रा कर रहे थे, फारमूसा के पास उनके वायुयान में आग लगी और उनकी मृत्यु हो गयी, किन्तु कुछ इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं।

9.6 मुस्लिम लीग

19 वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में अंग्रेजी सरकार ने भारत के हिन्दू और मुसलमानों के बीच एक अमिट दरार डालने का कुटिलतापूर्ण एवं योजनाबद्ध प्रयास आरम्भ किया। अपनी योजना को मूर्तरूप देने के लिए अंग्रेजों ने सर सैय्यद अहमद खाँ का उपयोग किया।

1857 की क्रांति के समय सर सैय्यद अहमद खान ब्रिटिश सेवा में थे और उन्होंने सरकार की मदद की थी। उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि मुसलमान वास्तविक रूप से राज्य विरोधी नहीं है और 1857 की घटनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सैय्यद अहमद खान 1869 में इंग्लैण्ड गये और वहाँ की संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हुए। भारत लौटने पर उन्होंने 1877 में अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लोओरियंटल कॉलेज' की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को पाश्चात्य ढंग से शिक्षित करना था। शीघ्र ही यह कॉलेज मुस्लिम समाज पर अंग्रेजों के द्वारा प्रभाव डालने वाला केन्द्र बन गया। बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने वाला यह कॉलेज अंग्रेजों का दृढ़ समर्थक बना। इस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में नियुक्त अंग्रेज व्यक्ति मि. बीक (1883-1899) ने देश में बढ़ती हुयी राष्ट्रीय भावना से विद्यार्थियों को विमुख करने का काम किया।

1887 में काँग्रेस के अधिवेशन के समय सर सैय्यद ने इसके विरोध में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया तथा काँग्रेस के विरोध में पैट्रियाटिक ऐसोशिएशन (देशभक्त संघ) की स्थापना की।

जैसे-जैसे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि हुई शिक्षित मध्यम वर्ग के मुसलमान उसमें शामिल होने लगे। अंग्रेजी शासन के लिए यह चिंता का विषय बना। उन्होंने मुसलमानों को काँग्रेस से दूर रखने

के लिए प्रयास आरम्भ किये। अंग्रेजी प्रशासन हिन्दू और मुसलमानों के मध्य धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों को उत्तेजित कर दोनों सम्प्रदायों में इतनी प्रतिद्वंदिता उत्पन्न करना चाहता था कि अंग्रेज सदा उनके बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकें।

20वीं शताब्दी के आरम्भ में साम्प्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। मुसलमानों का एक वर्ग काँग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा था। अंग्रेज शासक भी काँग्रेस के आन्दोलनों को विद्रोह के रूप में देखते थे। इसलिए वे काँग्रेस की एक प्रतिद्विन्दी संस्था की स्थापना करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल अक्टूबर 1906 में आगा खाँ के नेतृत्व में भारत के वायसराय लार्ड मिण्टो से मिला और एक स्मृत्ति-पत्र प्रस्तुत कर कुछ माँगे रखीं। माँगों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधान मण्डलों में मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। अंततः लार्ड मिण्टो भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का जनक बना। अंग्रेजों के प्रश्रय से कट्टरवादी मुसलमानों ने 30 दिसम्बर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। उन्होंने 1907 के लखनऊ अधिवेशन में लीग के संविधान को लागू किया।

मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य थे - 1. भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना। 2. ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए माँग करना। 3. लीग के उद्देश्यों को हानि पहुंचाये बिना मुसलमानों एवं अन्य जातियों में यथासम्भव मेल-जोल रखना।

मुस्लिम लीग के उद्देश्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक साम्प्रदायिक संस्था थी अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लीग की स्थापना का विरोध किया और वे काँग्रेस में ही बने रहे।

साम्प्रदायिक राजनीति का विकास : 1909 में मार्ले मिण्टो सुधारों ने साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरूआत की। मुस्लिम मतदाताओं के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई गई। 1912 से 1924 तक मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभुत्व रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खाँ, ओर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के कारण मुस्लिम लीग पर उदारवादी तत्व हावी रहे। इसी कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में काँग्रेस ने भी मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आदि को स्वीकर कर लिया। इस तरह काँग्रेस ने भी अंततः साम्प्रदायिक राजनीति को महत्व दे कर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नयी दिशा दी जिसके दूरगामी परिणाम सामने आये जो आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बने।

असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के बाद साम्प्रायिक एकता का आधार समाप्त हो गया। 1922 से 1927 के बीच कई साम्प्रदायिक दंगे हुए। हिन्दू महासभा ने राष्ट्र उन्नति व शुद्धि आन्दोलन चलाये। इधर मुसलमानों ने भी तंजीर (मुसलमानों को संगठित करना) और तबलीग (इस्लाम का विस्तार करना) आन्दोलन चलाये। हिन्दू महासभा से लाला लाजपत राय व मदनमोहन मालवीय जैसे नेता जुड़े। इस बीच 1925 में डा. केशव राव बलीराम हेड़गेवार के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी हुई।

मार्च 1927 में काँग्रेस व लीग के नेता हिन्दू-मुस्लिम एकता पर विचार मंथन करने एकत्रित हुए। इस बैठक में लीग में फूट पड़ गई और नाराज लीग नेता जिन्ना लंदन चले गये। कुछ समय बाद मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता के निधन के कारण जिन्ना पुनः भारत आये और मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाला।

1928 में नेहरु रिपोर्ट के प्रकाशन को जिन्ना ने हिन्दू-हितों का पोषण करने वाला बताया। काँग्रेस ने साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया जिससे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय हिन्दू-मुस्लिम ने एक मंच से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। परन्तु गोलमेज सम्मेलनों में साम्प्रदायिक

नेताओं ने अपने सम्प्रदाय के हित की बातों के लिए संघर्ष किया।

16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 'साम्प्रदायिक पंचाट' प्रकाशित कराया जिससे हिन्दू-मुस्लिम एकता को गहरा धक्का लगा। इस पंचाट ने मुसलमानों के साथ ही सिखों, भारतीय ईसाईयों और दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके साम्प्रदायिकता के क्षेत्र को और विस्तार दे दिया। 1930 से 1937 के मध्य कुछ मुद्दों के बाद भी काँग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे।

1937 के चुनाव में काँग्रेस को बड़ी सफलता मिली जबकि मुस्लिम लीग की हालत बहुत खराब हुई। चुनाव के बाद काँग्रेस और लीग के बीच सम्बन्धों में कटुता आ गई। 20 मार्च 1938 को मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति ने काँग्रेस पर मुसलमानों के साथ अन्याय और अत्याचार का आरोप लगाया। जिन्ना की जिद के आगे काँग्रेस की एक न चली। बाद में मुस्लिम लीग ने ये दावा किया कि भारतीय मुसलमान एक समुदाय नहीं अपितु एक राष्ट्र है और उन्हें राजनीतिक आत्मनिर्णय का अधिकार है।

3 सितम्बर 1939 को द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेसी मंत्रीमण्डल को विश्वास में लिए बिना भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया। काँग्रेस ने इस बात का विरोध किया। काँग्रेस चाहती थी कि पहले ब्रिटिश सरकार युद्ध के उद्देश्य और भारत की स्वाधीनता पर अपने विचारों को स्पष्ट करें। जब ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तो 8 प्रांतों के काँग्रेसी मंत्रीमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। इधर इस घटना से प्रसन्न जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसम्बर 1939 को 'मुक्ति दिवस' के रूप में मनाया।

लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग : मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ अपतु यह धीरे-धीरे विकसित हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में डॉ. मोहम्मद इकबाल ने 'सर्व इस्लाम' की भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। अंग्रेजी के विश्वकोष के अनुसार पाकिस्तान की सबसे पहली परिकल्पना एक पंजाबी मुसलमान रहमतअली के दिमाग की उपज थी। पूर्व में राष्ट्रवादी मुसलमान रहे मो. जिन्ना भी अंततः साम्प्रदायिक बन गये और अक्टूबर 1938 में उन्होंने 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' की माँग की। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने आग में घी का काम करते हुए पाकिस्तान की माँग को प्रोत्साहित किया। और इस तरह अंततः भारत विभाजन पर काँग्रेस को आम सहमति बनानी पड़ी।

9.7 भारत का विभाजन

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय काँग्रेस ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग को तत्पर थी परन्तु काँग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल स्वराज्य देने सम्बन्धी 'एटलांटिक चार्टर' की घोषणा को भारत पर भी लागू करें। चर्चिल ऐसी घोषणा को तैयार नहीं थे अतः दोनों पक्षों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हुआ।

युद्ध के मोर्चों पर अंग्रेजों की स्थिति अच्छी नहीं थी। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति दृढ़ हो रही थी। ऐसी स्थिति में चर्चिल युद्ध कार्य में भारतीयों का सहयोग चाहता था। इन स्थितियों में चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने की घोषणा की।

क्रिप्स प्रस्ताव : द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा, युद्ध के मोर्चों पर मित्रराष्ट्रों की स्थिति खराब होना तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श किया। भारत के वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स अपने साथ निश्चित प्रस्ताव लाया था। यह प्रस्ताव दो भागों में थे - युद्ध के समय लागू होने वाले तथा युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्ताव।

क्रिप्स के प्रस्ताव काँग्रेस को सन्तुष्ट नहीं कर सके क्योंकि इसमें युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गयी थी जबकि काँग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी। लीग इसलिए असन्तुष्ट थी क्योंकि इसमें उनकी पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। काँग्रेस एवं लीग के अतिरिक्त सिखों, हिन्दू महासभा, दलितों तथा अन्य ने भी प्रस्तावों से असहमति जताई।

लार्ड बॉवेल अक्टूबर 1943 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। बावेल भारत के वैधानिक गतिरोध को हल करना चाहता था। उसने जो योजना प्रस्तुत की उससे यह स्पष्ट आभास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करके स्वशासन के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती है।

बावेल ने जो योजना प्रस्तुत की उस पर विचार करने के लिए भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया गया। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आरम्भ हुआ। सम्मेलन में तय हुआ कि केन्द्रीय मंत्रीमण्डल मिला जुला होगा तथा उसमें 14 मंत्री होंगे। इसमें 5 काँग्रेस, 5 लीग तथा 4 वायसराय द्वारा मनोनीत होंगे। वायसराय ने काँग्रेस तथा लीग को 8 से 12 नाम देने को कहा। काँग्रेस ने जो सूची वायसराय को भेजी, उसमें दो सदस्य मुस्लिम थे। परन्तु जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम प्रतिनिधि लीग के सदस्यों में से ही लिये जायें। इसका कारण यह था कि जिन्ना काँग्रेस को हिन्दू संस्था सिद्ध करके, लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा करना था।

लीग के असहयोग के कारण शिमला सम्मेलन असफल हुआ। जिन्ना के हठ एवं दुराग्रह के समक्ष बावेल ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार से भारत के भाग्य का निर्णय करने के सम्बन्ध में उसे वीटो का अधिकार देकर सरकार ने एक बार पुनः 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति का अनुसरण किया।

कैबिनेट मिशन : शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैण्ड की नयी मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति को ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरन्त हस्तान्तरित किये जाने के अनुशंसा की। इस स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा।

कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरुप को निश्चित करने वाली एक योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। योजना के दो मुख्य भाग थे – अन्तरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा संविधान निर्माण की दीर्घकालीन योजना।

6 अगस्त 1946 को वायसराय ने काँग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु को अन्तरिम सरकार के निर्माण में सहयोग के लिए अनुरोध किया।

इस बीच लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बढ़ाने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का निश्चय किया। लीग और जिन्ना की हठधर्मिता के कारण देश भर में साम्प्रदायिक दंगे हुए।

2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार ने शपथ ली। सरकार को सुचारु रूप से कार्य करते देख लीग ने सरकारी कार्यों में अवरोध डालने की नीयत से अन्तरिम सरकार ने स्वीकार किया। इससे वातावरण खराब हुआ। सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने के प्रयास किए परन्तु लीग की दबाव नीति के कारण समझौता नहीं हो सका।

इन्ही परिस्थितियों में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा की।

माउण्टबेटन योजना और भारत का विभाजन : 23 मार्च 1947 को लार्ड बावेल के स्थान पर लार्ड माउण्टबेटन नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भारत भेजा था,

जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता सौंप सकें।

काँग्रेस के नेता विभाजन नहीं चाहते थे परन्तु लीग विभाजन के अलावा और कोई बात करने को तैयार नहीं थी। अंततः साम्प्रदायिक पागलपन के ज्वार के समक्ष विवश होकर काँग्रेस को भारत विभाजन की सहमति देना पड़ी।

अन्तरिम सरकार की अपंगता, साम्प्रदायिक हिंसा का ज्वार, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता, काँग्रेस नेताओं की विवशता तथा ब्रिटिश कूटनीति के परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ।

माउण्टबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसके अनुसार भारत को दो भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किये जाने तथा सत्ता का हस्तान्तरण 15 अगस्त 1947 को करने सम्बन्धी प्रावधान किया गया। योजना में पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलुचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गयी।

माउण्टबेटन की योजना को काँग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की। मुस्लिम लीग समस्त बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त तथा बलुचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी परन्तु माउण्टबेटन के दबाव के आगे उसे योजना को स्वीकार करना पड़ा।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम-1947 : माउण्टबेटन की योजनानुसार अंग्रेज सरकार ने हस्तान्तरण की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए 'भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम' का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप को काँग्रेस और लीग के अनुमोदन के लिए भेजा गया। अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया। 18 जुलाई 1947 को इसने अधिनियम का रूप लिया।

प्रमुख प्रावधान : भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में कुल 20 धाराएँ तथा दो परिशिष्ट थे। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे -

1. भारत को दो अधिराज्यों - भारत और पाकिस्तान में बाँटना था, गवर्नर जनरल ने 15 अगस्त 1947 को भारत का दायित्व भारतीय नेताओं को सौपा जाना तय किया।
2. अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेंगे।
3. दोनों अधिराज्यों की सीमाएँ निर्धारित की गयीं। इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह के आधार पर बंगाल, पंजाब तथा असम के विभाजन तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में बातें तय की गयीं।
4. दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। जब तक दोनों राज्य नया संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन होना था।
5. भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमण्डल सचिव की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया।

15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून भारत पर लागू नहीं होना था। इस प्रकार स्वतन्त्रता अधिनियम प्रभावी होते ही भारत को ब्रिटिश नियन्त्रण से मुक्ति मिल गयी। भारत की स्वतन्त्रता एक नये युग के आरम्भ का सूचक थी। भारतीयों को अपना भाग्य स्वयं निर्माण करना था।

14-15 अगस्त की आधी रात को दिल्ली में संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के एक भाग के रूप में भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा की गयी। लार्ड माउण्टबेटन नवीन भारतीय अधिराज्य के गवर्नर जनरल नियुक्त किये गये।

विभाजन प्रक्रिया : ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दो कमीशनों ने पंजाब और बंगाल के बटवारे का कार्य 30 जून 1947 को आरम्भ किया। इसके अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ थे। कमीशन को सीमा निर्धारण के कार्य में बड़ी कठिनाई हुई। 18 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने बंगाल तथा पंजाब के विभाजन पर अपना निर्णय दिया तथा इस प्रकार विभाजन की योजना कार्यान्वित हो गयी। रेडक्लिफ के निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र प्राप्त हुए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, सिलहट, बलुचिस्तान तथा सिन्ध ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया।

रियासतों का विलीनीकरण : 1947 के भारत स्वतन्त्रता अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार के प्रति सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया गया था। रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों के विलीनीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ।

सरदार पटेल ने देशी नरेशों से भारत के सामूहिक हितों तथा देश की अखण्डता को बनाये रखने की अपील की। उन्होंने देशी रियासतों से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का संकल्प किया तथा उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा अधिकारों को सुरक्षित रखा जायेगा।

15 अगस्त 1947 के पूर्व तक जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल तथा कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों के नरेशों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने पर सहमति दे दी थी। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल तथा कश्मीर ने कुछ परेशानियाँ खड़ी की। जूनागढ़ की जनता भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहती थी परंतु रियासत का नवाब तैयार नहीं था, किन्तु जनता के आन्दोलन करने पर वह विवश हो गया। इस प्रकार जूनागढ़ भारत संघ में सम्मिलित हो गया।

हैदराबाद का निज़ाम भी भारतीय संघ में सम्मिलित होने को तैयार नहीं था। अत: उसके साथ सख्ती बरती गयी। हैदराबाद की सेना तथा रजाकारों को समर्पण करना पड़ा और भारत सरकार ने हैदराबाद का शासन अपने हाथ में ले लिया। नवाब की हठधर्मिता के कारण भोपाल रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण वर्ष 1949 में हो सका।

कश्मीर के महाराजा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखना चाहते थे। परन्तु जब कश्मीर रियासत पर कबाइलियों ने आक्रमण किया, तब महाराज ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में प्रवेश का प्रस्ताव स्वीकार किया। महाराज ने भारत सरकार से सैनिक सहायता भेजकर कबाइलियों से कश्मीर की रक्षा की प्रार्थना की। अत: भारत सरकार ने काश्मीर में सेना भेजी। इसी समय महाराज ने एक अस्थायी संकटकालीन शासन की स्थापना कर शेख अब्दुल्ला को उसका प्रधानमंत्री बनाया। आजाद कश्मीर नामक एक संगठन नई सरकार के विरोध में था। पाकिस्तान की सहानुभूति इसके प्रति थी।

पाकिस्तान ने कबाइलियों को पूर्ण समर्थन दिया। परिणामस्वरूप संघर्ष आरम्भ हो गया। इस मामले को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। उसके प्रयत्नों से जनवरी 1949 में युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान के प्रभाव में कश्मीर का 1/3 भाग तथा भारत के प्रभाव में 2/3 भाग रह गया। अन्त में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा ने भारतीय संघ के साथ रियासत के विलय को स्वीकार किया।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए -

1. बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था -
   (i) बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना (ii) राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना
   (iii) राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं।
2. कांग्रेस का विभाजन हुआ -
   (i) नागपुर अधिवेशन (ii) सूरत अधिवेशन
   (iii) लाहौर अधिवेशन (iv) बम्बई अधिवेशन
3. गांधीजी ने 'खिलाफत आन्दोलन' का समर्थन क्यों किया -
   (i) क्योंकि खलीफा भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष का समर्थक था।
   (ii) क्योंकि गांधीजी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे।
   (iii) क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रेमी थे।
   (iv) क्योंकि टर्की ने भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थन किया।
4. रोलेट एक्ट का उद्देश्य था -
   (i) सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना
   (ii) आन्दोलनकारियों का दमन करना
   (iii) सभी में समानता स्थापित करना
   (iv) उपरोक्त सभी
5. सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है -
   (i) देशवासियों को नमक बनाना चाहिए
   (ii) विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाये
   (iii) हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उलंघन किया जाये
   (iv) शराब की दुकानों पर धरना दिया जाये।
6. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की -
   (i) भगतसिंह (ii) रासबिहारी बोस
   (iii) चन्द्रशेखर आजाद (iv) सुभाषचन्द्र बोस
7. जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार दो निम्न स्वतन्त्र देशों का निर्माण हुआ -
   (i) भारत-बांग्लादेश (ii) भारत - पाकिस्तान
   (iii) भारत-श्रीलंका (iv) भारत - नेपाल

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. 1905 में बंगाल प्रान्त में बंगाल, ..., उड़ीसा सम्मिलित थे।
2. करो या मरो का नारा .... आन्दोलन में दिया गया।
3. 1928 में क्रान्तिकारियों ने .... का गठन किया।

4. भारत की स्वाधीनता के समय .... भारत के वाइसराय थे।

5. .... के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बंगाल विभाजन कब और क्यों किया गया था?
2. असहयोग आन्दोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया?
3. खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के क्या लक्ष्य थे?
4. आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर किन स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे?
2. कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्द हुआ। स्पष्ट कीजिए।
3. स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है?
4. सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाए जाने के क्या कारण थे?
5. गांधीजी के आरम्भिक आन्दोलनों की तुलना में भारत छोड़ो आन्दोलन किस प्रकार भिन्न है?
6. स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान गांधीजी ने किन तरीकों को अपनाने के लिए कहा?
7. क्रान्तिकारी आन्दोलनों का भारत के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए।
8. केबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? वह उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. भारत छोड़ो आन्दोलन का क्या अर्थ है एवं यह कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसके महत्व को लिखिए।
2. क्रान्तिकारियों के बारे में आप क्या जानते है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन से तरीके अपनाए?
3. आजाद हिन्द फौज की स्थापना क्यों की गई थी एवं भारत की स्वतन्त्रता के लिए उसके योगदान को लिखिए।
4. मुस्लिम लीग के कार्यों ने पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? समझाइए।
5. किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन किया गया। कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार किया।

प्रोजक्ट कार्य -

- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित चित्र एकत्रित कर शाला एलबम बनाए।
- एक काल रेखा खीचकर सन् 1905 से 1922 ई. के बीच के स्वतन्त्रता आन्दोलन की प्रमुख घटनाएँ दर्शाइये।
- अपने शिक्षक, अभिभावक, सहपाठियों की सहायता से स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी आयोजित करिए। जिसमें नेताओं के चित्र, उनसे सम्बन्धित घटनाएँ, समाचार पत्रों की रिपोर्ट शामिल करिए।